न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 07/2023

दायर दिनांक – 06.02.2023

निर्णय दिनांक – 13.02.2023

जीसीएमएस नं0 – 2023/27

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
1. श्रीमती सुशीला शर्मा पत्नी श्री रमेशचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी एच–17, सरस्वती नगर, जयपुर जिला जयपुर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री फिरोज मो0, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।

–: आदेश :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजीयात के वर्किंग खसरा नंबर 583 मिन है, जिसके वर्तमान खसरा नंबर 2207/2961 वर्तमान राजस्व नक्शे में वर्किंग नक्शे से गलत स्थान पर तरमीम हो गया है, जिसे वर्किंग नक्शा ट्रेस अनुसार वर्तमान राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 01 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/भू.अ./2023/551 दिनांक 10.02.2023 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि "वादपत्र में साबिक खसरा नंबर 583 के भाग को अन्य जगह दर्शाया जाने का कथन किया। इस संबंध में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार एवं साबिक व हाल नक्शे का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड अनुसार हाल खसरा नंबर 2207/2961 रकबा 0.02 हैक्टेयर साबिक ख.नं. 583 का

13/2/23

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

भाग है जबकि नवीन नक्शे में साबिक नक्शे के 597 के भाग में दर्शाया गया जबकि 583 साबिक के भाग में दर्शाया जाना चाहिए। अतः साबिक रिकॉर्ड अनुसार हाल ख.नं. 2207/2961 रकबा 0.02 है. को साबिक नक्शे अनुसार 583 के नवीन ख.नं. 2213 में संलग्न नजरी नक्शे अनुसार दर्शाया जाना उचित है तथा खसरा नंबर 2207/2419 को साबिक नक्शे अनुसार शुद्धि किया जाना उचित है।

हमने प्रार्थीया अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की उपस्थिति में बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित प्रार्थीया के आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 2207/2961 का तहसीलदार, पुष्कर की मौका रिपोर्ट एवं अनुशंषा अनुसार वर्तमान राजस्व मानचित्र में तरमीम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नं0 2207/2961 को वर्तमान राजस्व नक्शे में साबिक खसरा नंबर 583 के नवीन खसरा नं0 2213 में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किया जावें तथा खसरा नंबर 2207/2419 को साबिक नक्शे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में शुद्धि की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

13/2/23

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी (आर.ए.एस.)
पुष्कर (अजमेर)

नक्शा किश्तवार
ग्राम - पुष्कर
तहसील - अजमेर
जिला - अजमेर
राज०
सन् १९५८-५९
सम्वत् 2079-82

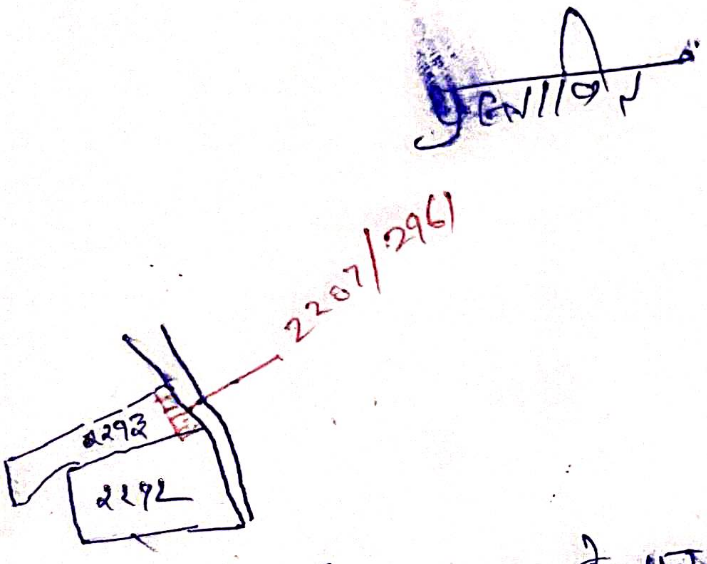

श्रीमान तहसीलदार सा. के पत्र क्रमांक/तह./भू.अ./2023/451 दि. 9/2/23 की पालना में नि: प्रेषित है।

9/2/23
पट. पुष्कर

10.2.23
तहसीलदार (भू.अ.)
पुष्कर (अजमेर)

13/2/23
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)